




(4)

Mr book 113

113292/1023



विक्रय-पत्र

पृष्ठ-72 के क्रमांक 310 के प्रारूप-4 के वी0कोड 1301
बाजारी कीमत-6,48,000/-रु0, स्टाम्प-2,04,000/-रु0
दर-65 लाख + 10 प्रतिशत प्रति हे0

ई स्टाम्प संख्या-IN-UP 70290610670630V

- 1- भूमि का प्रकार - कृषि
- 2- परगना - जमौर
- 3- ग्राम - नवादा इन्देपुर
- 4- सम्पत्ति का विवरण - गाटा सं0-7मि0
- 5- सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.543 हे0 में से 0.0905 हे0
यानी 905 वर्ग मीटर
- 6- क्रेता व विक्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति
के नहीं हैं।
- 7- सड़क की स्थिति - मुख्य सड़क से करीब
500मी0दूर
- 8- प्रतिफल - 28,96,000/- रूपया

204000



(2)

विवरण चौहद्दी :-

पूरब - खेत अमन अग्रवाल डायरेक्टर क्रेता कम्पनी
पश्चिम - खेत अशोक आदि
उत्तर - खेत विनय कुमार कुमरा आदि
दक्षिण - खेत वसीउल्ला आदि

सुशील कुमार कुमरा व विनय कुमार कुमरा पुत्रगण राम मोहन कुमरा
निवासीगण मोहल्ला दीवानजोगराज शहर व जिला शाहजहांपुर।
मोD-9415035527, 9415119717 फैन नंD-ABOPK4221G, ABOPK4222F

..... प्रथम पक्ष

एवं

एस0पी0के0एन0 एण्ड सन्स प्रा0लि0 अजीजगंज शहर व जिला
शाहजहांपुर द्वारा डायरेक्टर अमन अग्रवाल पुत्र प्रमोद कुमार अग्रवाल
निवासी श्री दुर्गा इंडस्ट्रीज कम्पाउन्ड अजीजगंज शहर व जिला
शाहजहांपुर। फैन नंD-ABDCS6704J मोD-9651101010

.....द्वितीय पक्ष

जो कि आराजी काश्त संक्रमणीय भूमिधर स्थित ग्राम नवादा
इन्देपुर परगना जमौर तहसील सदर जिला शाहजहांपुर जिसका
गाटा संख्या 7 मि0 रकबा 0.5430 हे0 लागान खाता अनुसार हम
प्रथम पक्ष की है, जिसके बाबत हम प्रथम पक्ष को पूर्ण हक
मालिकाना हस्तान्तरण आदि के हासिल हैं। यह कि प्रथम पक्ष
प्रताप सिंह कुमरा के वारिस है प्रताप सिंह कुमरा द्वारा अपने
जीवन काल में कुछ भूमि क्रय की गयी थी जिसमें से खसरा










विक्रय पत्र

प्रतिफल- 2896000 स्टाम्प शुल्क- 204000 बाजारी मूल्य - 648000 पंजीकरण शुल्क - 28960 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 29020

श्री एस पी के एन एण्ड सन्स प्रा०लि० द्वारा
अमन अग्रवाल अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल
व्यवसाय : अन्य
निवासी: निवासी श्री दुर्गा इन्डस्ट्रीज कम्पाउन्ड अजीजगंज शाहजहांपुर



श्री, एस पी के एन एण्ड सन्स प्रा०लि० द्वारा

अमन अग्रवाल अधिकृत पदाधिकारी/
प्रतिनिधि



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 03/05/2023 एवं 12:33:13

PM बजे

निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरुण कुमार गुप्ता
उप निबंधक :सदर
शाहजहांपुर
03/05/2023

✓
पी पी कठेरिया
निबंधक लिपिक
शाहजहांपुर
03/05/2023

प्रिंट करें



(3)

संख्या 3 प्रताप सिंह कुमरा एण्ड कम्पनी के नाम खरीदी गयी थी तथा खसरा संख्या 7 प्रताप इंडस्ट्रीज के नाम खरीदी गयी थी प्रताप इंडस्ट्रीज ने पहले एक ऑयल मिल प्रताप सिंह कुमरा एण्ड कम्पनी की भूमि पर लगा ली थी बाद में परिवार में व्यापार बदलकर इस संबन्ध में धारा 143 अंतर्गत 04.09.1986 की खसरा संख्या 3/2.34 एकड़ व खसरा संख्या 7 मिनजुमला/1.35 एकड़ औद्योगिक घोषित कर दी गयी थी लेकिन प्रताप इंडस्ट्रीज की भूमि खसरा संख्या 7 हमेशा खाली रही है उसका प्रयोग कृषि कार्य हेतु रहा खसरा संख्या 7मि0 के अंश पर जो मिल लगाई गयी थी वह भी आपसी विवाद में बंद हो गयी तथा उक्त मिल की इमारत जो प्रताप इंडस्ट्रीज की इमारत बनी थी जिसके सिर्फ मलवे की मालिक प्रताप इंडस्ट्रीज थी उक्त मलवा भी मौके से हट गया और समस्त औद्योगिक भूमि का उपयोग भी समाप्त हो गया। यह कि बाद में परिवार में विवाद होने पर मुकदमा दारी शुरू हो गयी तथा न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन शाहजहांपुर में मूल वाद संख्या 192/1991 श्रीमती रामप्यारी आदि बनाम अरुणा देवी आदि तथा मूल वाद संख्या 198/1991 श्रीमती रामप्यारी आदि बनाम राजकुमार आदि दायर हुये उक्त निर्णय उपरांत विक्रय की जाने वाली भूमि खसरा 7 स्थित नवादा इन्देपुर रकबा 0.543 हे0 सम्पूर्ण पर हम विक्रेतागण सुशील कुमार कुमरा एवं विनय कुमार कुमरा का नाम दर्ज हो गया है और उपरोक्त भूमि के पूर्ण मालिक काबिज दखिल के उपरोक्त भूमि 1986 में औद्योगिक भूमि दर्ज हो गयी थी लेकिन उसका औद्योगिक उपरोक्त उपरोक्त फर्म विघटित हो जाने के बाद










Ram

विक्रेता: 1

श्री सुशील कुमार कुमरा, पुत्र श्री
राम मोहन सिंह कुमरा
निवासी: मो० दीवानजोगराज
शाहजहापुर



व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 2

श्री विनय कुमार कुमरा, पुत्र श्री
राम मोहन सिंह कुमरा
निवासी: मो० दीवानजोगराज
शाहजहापुर



व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1

श्री एस पी के एन एण्ड सन्स
प्रा०लि० के द्वारा अमन अग्रवाल,
पुत्र श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल
निवासी: निवासी श्री दुर्गा
इन्डस्ट्रीज कम्पाउन्ड अजीजगंज
शाहजहापुर



व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री विजय कुमार कुमरा, पुत्र श्री
राम रतन कुमरा
निवासी: निवसी प्लॉट नं०- 5
साउथ सिटी एक्सटेंशन जिला
शाहजहापुर



व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री कमल कुमार, पुत्र श्री सुखवीर
निवासी: नि०मो० खिरनीबाग
शहर व जिला शाहजहापुर
व्यवसाय: अन्य



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरुण कुमार गुप्ता

उपनिबंधक: सदर

शाहजहापुर

03/05/2023

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के
निशान अंगूठे नियमानुसार परिलेख
गए हैं।


टिप्पणी : स्टांप कमी

पी पी कठेरिया

निबंधक लिपिक

शाहजहापुर

03/05/2023



(4)

समाप्त हो गया था और विगत 20 वर्ष से अधिक से उक्त भूमि पर कोई भी औद्योगिक इकाई नहीं लगी हुई है और राजस्व कर्मचारियों की अनदेखी के कारण अभी तक उस पर गलत तौर अकृषक भूमि होना राजस्व अभिलेखों पर दर्ज है धारा 144 यू0पी0जैड0 एंड एल0आर0एक्ट राजस्व अधिकारियों का स्वयं दायित्व था कि मौके पर कृषि हो रही है को राजस्व अभिलेखों में सही दर्ज किया जाना चाहिए था परंतु ऐसा नहीं किया गया है विगत 20 वर्षों से उक्त भूमि पर कृषि कार्य हो रहा है वर्तमान खतौनी में भी सिर्फ कृषि भूमि दर्ज है उक्त कृषि भूमि का निकास चकरोड पर है। अतः प्रथम पक्ष ने अपनी कुल काशत में से रकबा 0.0905 हे0 काशत को खूब सोच व समझकर बिना किसी जबर व दबाव के खुशी खुद बदले मुबलिग 28,96,000 /- रू0 (अठाई लाख छियानवे हजार रूपया) जिसके आधे मु0 14,48,000 /- रू0 (चौदह लाख अढतालीस हजार रूपया) होते हैं, में बदशत द्वितीय पक्ष के हाथ बेंच दी तथा कुल कीमत अंत में दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त कर द्वितीय पक्ष को अपने समान समस्त अधिकारों सहित मालिक, काबिज व दखील बना दिया। कब्जा व दखल वाकई दे दिया अब नहीं रहा कोई हक हम प्रथम पक्ष व वारिसान मेरे का विक्रीत काशत के बावत् यदि कोई हम प्रथम पक्ष का सहीम, सरीक या साझेदार बनकर दावा करे तो दावा वातिल व नाजायज होवे। निकल जावे जुज या कुल भाग द्वितीय पक्ष के कब्जे से तो द्वितीय पक्ष को हक होगा कि वह अपना कुल तमाम रूपया हर्जा व खर्चा सहित मुझ प्रथम पक्ष व वारिसान मेरे की जात व जायदाद से हर प्रकार से वसूल कर लेवे। हम प्रथम पक्ष व वारिसान मेरे को कोई उज्र या












39/07

न्यायालय: सिविल जज(सीनियर डिविजन), शाहजहाँपुर

मोहम्मद रईस खान आदि निरंजन सिंह आदि

मूलवाद संख्या- 283/2018

(CNR No.- UPSH050026242018)

दिनांक- 20.12.2022

निस्तारण समझौतानामा- 30 क

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्ष जरिये विद्वान अधिवक्तागण उपस्थिति आये। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को समझौतानामा-30 क पर सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

समझौतानामा-30 क मय शपथपत्र 35 ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य चन्द भले लोगों ने समझौतानामा-30 क में वर्णित शर्तों के आधार पर आपस में सुलह समझौता हो गया है। उभयपक्ष खर्चा मुकदमा अपना-अपना वहन करेंगे।

उभयपक्ष द्वारा समझौतानामा-30 क की शर्तों को स्वेच्छया स्वीकार किया गया है। दिनांक 14.11.2022 को वादीगण मोहम्मद रईस खान आदि के हस्ताक्षर व फोटो को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री बुधपाल सिंह व प्रतिवादीगण निरंजन सिंह आदि के हस्ताक्षर व फोटो को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदीप श्रीवास्तव के द्वारा समक्ष न्यायालय तस्दीक किया गया है। पक्षकारों को समझौतानामा न्यायालय में पढ़कर सुनाया व समझाया गया है। पक्षकारों के द्वारा समझौतानामा-30 क को स्वीकार किया गया है एवं कोई आपत्ति नहीं की गयी।

उभयपक्ष की शिनाख्त जरिये अधिवक्ता किये जाने पर समझौतानामा-30 क न्यायालय द्वारा दिनांक 14.11.2022 को तस्दीक किया गया। समझौतानामा एवं उभयपक्ष के अभिकथनों से राजीनामा दुरभिसंधि पूर्ण प्रतीत नहीं होता है। अतः राजीनामा/समझौतानामा-30 क की शर्तों के आधार पर दावा आज्ञप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

समझौतानामा-30 क के आधार पर दावा वादीगण आज्ञप्त किया जाता है। समझौतानामा-30 क मय आधार समझौता 31 क आज्ञप्ति का अर्थ होगा। यह निर्णय केवल पक्षकारों एवं उनके विधिक प्रतिनिधि पर ही प्रभावी होगा। इस निर्णय के प्रभाव स्वरूप अन्य किसी विधिक प्रतिनिधि अथवा अन्य व्यक्ति के अधिकारों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न ही इस निर्णय के प्रभावस्वरूप किसी सरकारी सम्पत्ति का अन्तरण होगा, न उससे किसी स्वत्व का सृजन ही होगा। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय का कोई भी प्रभाव अव्यक्त पक्षकारों के वयस्कता पर प्राप्त उनके अधिकारों पर नहीं पड़ेगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय के प्रभावस्वरूप सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, प्रोविजेंटेशन एक्ट एवं भूमि व राजस्व अधिनियम से सम्बन्धित वांछित विधिक प्रक्रियाएं बंद देय राजस्व पर इस निर्णय का किसी तरह से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। नियमानुसार डिक्री बनायी जाये एवं इस आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक, जनपद शाहजहाँपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु नियमानुसार प्रेषित हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर है।

(हितेश अग्रवाल)

सिविल जज (सीनियर डिविजन),

शाहजहाँपुर।

उप निबन्धक (J.O. Code- UP2060)

सदर- शाहजहाँपुर

(5)

इंकार न होगा।

मूल्यांकन सूची के पृष्ठ-72 के क्रमांक 310 के प्रारूप-4 के वी0कोड 1301 की दर 65,00,000/- रूपया प्रति हे0 निर्धारित है परन्तु 10 प्रतिशत बृद्धि करने अनुसार मूल्यांकन किये जाने पर उसकी कुल मूल्य कीमत मु0 6,48,000/- रूपया होती है लेकिन उक्त सम्पत्ति का विक्रय मु0 28,96,000/- रूपया में किया जा रहा है जो विक्रय मूल्य श्रीमान कलेक्टर शाहजहांपुर द्वारा बनायी गयी मूल्यांकन सूची में दिये गये मूल्यांकन से अधिक है इस कारण स्टाम्प अधिनियम के शेड्यूल-1बी के अनुच्छेद 23(क) के अनुसार विक्रय प्रतिफल पर स्टाम्प विक्रेता द्वारा अदा किया जा रहा है। लिहाजा यह बैनामा लिख दिया कि प्रमाण रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

विवरण अदायगी प्रतिफल

समस्त प्रतिफल मु0 28,96,000/- रूपया निम्न अनुसार अदा किया गया।

चेक सं0	धनराशि	दिनांक	बैंक
286477	1448000	22.03.2023	भारतीय स्टेट बैंक सुशील कुमार कुमरा
286478	1448000	22.03.2023	भारतीय स्टेट बैंक विनय कुमार कुमरा

नोट :- क्रेता व विक्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति










ता. 18/11/22

उप निबन्धक
सर-शाहजहाँपुर

IN THE COURT OF CIVIL JUDGE SENIOR DIVISION SHAHJAHANPUR

Original Suit No. 283 of 2018

1. Mohd. Raees Khan S/o Mohd. Shafi Khan R/o Mohalla Dilajak, Shahjahanpur.
2. Smt. Pramila Devi W/o Shri Braj Kishore Mishra R/o Quarter No.1-H-45, Double storey Factory Estate, Shahjahanpur.
3. Smt. Krishna Kanti Mishra alias Krishna Mishra W/o Shri Gopesh Mishra R/o Village Pena Bujurg, Pargana & Tehsil Sadar Shahjahanpur.
4. Smt. Sidh Shri W/o Shri Sita Ram R/o Sainik Colony, Near Deep dairy Shahjahanpur
5. Ajay Kumar Gupta S/o Shri Ram Kumar Vaishya R/o Quarter No.291/2, Nehru Road, Factory Estate, Shahjahanpur.
6. Manish Khiloria S/o Shri Suresh Prasad Khiloria R/o Factory Estate, Shahjahanpur.
7. Ranjeev Khiloria S/o Shri Shiv Shankar Prasad Saxena R/o Factory Estate, Shahjahanpur.



8. Raghveer Sharan S/o Shri Kadel Singh R/o Village Mudiria Ahband Pargana Pasgawan, Tehsil Mohamdi Shahjahanpur.
9. Smt. Jitendra Saxena W/o Shri Praveen Kumar Saxena R/o Mohalla Dilajag, Cantt, Shahjahanpur.
10. Vishwadhar Mishra S/o Shri Shivadhar Mishra R/o 2, Civil Lines, Shahjahanpur.

----- Plaintiffs

1. Niranjn Singh S/o Late Hazara Singh R/o 307/4 J. Type Factory Estate, Tehsil Sadar, District Shahjahanpur.
2. Shakeel Ahmad S/o Late Rafee Ullah R/o Mohalla Tareen Jalalnagar Tehsil Sadar, District Shahjahanpur.

----- Defendants

श्रीमान जी
उपरोक्त वाद में सादर निवेदन है कि उभय पक्षकारण के मध्य समाज के चंद भले लोगों ने बीच में पड़कर समझौता करा दिया है और पक्षकार अब मुकदमा नहीं चलाना चाहते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने गलत फहमीवश विवादित बनामा प्रतिवादी संख्या 2 के हक में दिनांक 22.12.2015 को कर दिया था। लेकिन अब सही तथ्यों का ज्ञान हुआ है। विवादित सम्पत्ति का बनामा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सरदार हजारा सिंह ने दिनांक 09.01.1987 को कर दिया था और विवादित सम्पत्ति की बाबत प्रतिवादी संख्या 1 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुये थे। अतः निवेदन है कि उपरोक्त मूलवाद निम्न समझौते के आधार पर निर्णीत कर समझौते को आज्ञाप्ति का अंश बनाने की कृपा करें।

Signature

पक्षकार/प्रतिवादी


उप निबन्धक

श्रीमान जी

सौच्य पत्र

उप निबन्धक
धर-भारजहंपुर


आज्ञा पत्रे सौच्य पत्र वादी गण मोहनद रईस रवौ, श्रीमती
छिमला देवी, श्रीमती लूणा कान्ती मिश्रा डि लूणा मिश्रा, श्रीमती
सिद्ध श्री, यडाप कुमार गुला, मनीष खिलौरिया द्वारा भुवट्टपार काम
रंजीव खिलौरिया, रंजीव खिलौरिया, रघुवर रायण द्वारा भुवट्टपार काम
मोहनद रईस रवौ, श्रीमती जितेन्द्र मन्सैत, व विश्वा धार मिश्रा
की आचारल श्री बुधपाल सिंह २०२० व प्रतिवादी गण निरुद्ध लिई
व शकील अहमद की आचारल उनके अधिवक्ता श्री कुलदीप
श्रीवास्तव २०२० द्वारा किया गया । सौच्य पत्र परकारों को
पढ़कर सुनाया गया । सौच्य पत्र लान्दीक परकारों की जोर
से स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर की गयी ।



[Handwritten signature]
14/11/22

श्रीमती जयश्री
शकील अहमद
Identify Signature
of Mr. Nitayanand
Shakel Ahmad
14.11.22
(कुलदीप श्रीवास्तव २०२०)

[Handwritten signature]
शुभला देवी
रघुवीर शर्मा
मधुसूदन गुला
मनीष खिलौरिया
सिद्ध श्री
रंजीव खिलौरिया



छोपणा कान्ती मिश्रा
जितेन्द्र मन्सैत
विश्वा धार मिश्रा



Identify all
उप निबन्धक
धर-भारजहंपुर
14-11-22
(Bunth Lal Singh) Ad


2003080133
-974004 07-07-2022
05-11-2022/18
श्रीमती जयश्री की 15 अंश नमस्तर

नजरी नक्शा बिक्रीत आराजी संक्रमणीय भूमिधरी

स्थित ग्राम- ~~जवाला इन्दौर~~ ~~उमरा~~

तहसील सदर जिला-शाहजहांपुर



Ramesh


Uday


Aman


- यह कि दावा वादी बावत याचना (अ) आज्ञाप्त माना जावेगा तथा बैनामा दिनांक 22.12.2015 इकरारी निरंजन सिंह बहक प्रतिवादी संख्या 2 श्रीकील अहमद निरस्त माना जावेगा तथा इसकी सूचना कार्यालय उप निबन्धक शाहजहाँपुर को इस आदेश के साथ भेज दी जावेगी कि वह इस तथ्य की पुष्टि अपने अभिलेखों में कर देगे।
- यह कि विवादित बैनामे के संबंध में स्टाम्प वाद संख्या 141 सन् 2015 सरकार बनाम शकील अहमद तारीख फौजला 04.01.2016 में पारित निर्णय के अनुसार विवादित बैनाम के संबंध में जो कमी स्टाम्प का आदेश पारित किया गया है जिसके अनुसार रु 5,33,590/- एव इस धनराशि पर व्याज राज्य सरकार को अदा किया जाना है। उक्त रकम की अदायगी वादीगण, प्रतिवादीगण की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आपसी सहमति से अदा कर देंगे ताकि भविष्य में कोई विवाद स्टाम्प शुल्क का शेष न बचे।
- यह कि प्रतिवादी संख्या 2 मूल बैनामा कार्यालय उप निबन्धक शाहजहाँपुर से प्राप्त कर वादीगण को सौंप देगा।
- यह कि प्रतिवादी संख्या 2 उक्त बैनामे के संबंध में देय कमी स्टाम्प की रकम जो वादीगण द्वारा अदा कर दी जावेगी को सरकार से वापस प्राप्त करने के लिये वादीगण के सहयोग से समुचित कार्यवाही करेगा और इस कार्यवाही पर होने वाला व्यय वादीगण वहन करेंगे और इस संबंध में यदि कोई रूपया राज्य सरकार से वापस प्राप्त होगा तो इस धनराशि को प्राप्त करने के अधिकारी वादीगण होंगे और इस समस्त कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 2 अपना पूरा सहयोग करेगा और आवश्यकता पड़ने पर मुख्तयारनामा लिखकर वादीगण को सौंप देगा।
- यह कि पक्षकारों के मध्य जो भी फौजदारी के वाद चल रहे हैं उन्हें भी पक्षकार आपसी सहयोग से समाप्त करा लेंगे।
- यह कि वाद व्यय पक्षकार अपना अपना वहन करेंगे।

वादीगण

1. Mohd. Raees Khan
2. Smt. Pramila Devi
3. Smt. Krishna Kanti Mishra alias Krishna Mishra
4. Smt. Sidh Shri
5. Ajay Kumar Gupta
6. Manish Khiloria
7. Ranjeev Khiloria
8. Raghveer Sharan
9. Smt. Jitendra Saxena
10. Vishwadhhar Mishra

Through
Budhpal Singh
Advocate

Budh Pal Singh
Advocate
Collectrate, Shanjahanpur
Reg. No. 7509/92

प्रतिवादीगण

1. Niranjn Singh
2. Shakeel Ahmad
Through
Counsel


द्वारा-
कुलदीप श्रीवास्तव
TPO
कुलदीप श्रीवास्तव
रजि० न०-142659/16 एडवोकेट
अजिस कोर्ट, शाहजहाँपुर
फोन-8090649175

फोटोग्राफ आराजी काश्त

स्थित मोहल्ला / ग्राम-~~बाबा~~ इन्दौर परगना पानी

तहसील सदर जिला-शाहजहाँपुर



Ramesh


Uday


Anand


()

के नहीं हैं। काश्त सीलिंग व पट्टे की नहीं है। काश्त में पेड़, बोरिंग या कुआँ आदि नहीं है।



गवाह-1 विजय कुमार कुमरा पुत्र राम रतन कुमरा निवासी प्लाट नं0 5 साउथ सिट एक्सटेंशन शहर व जिला शाहजहांपुर। मो0-9648115555

गवाह-2 कमल कुमार पुत्र सुखवीर निवासी मोहल्ला खिरनीबाग शहर व जिला शाहजहांपुर। मो0-9919214999

मसविदा- आलोक कुमार मिश्र, (एडवोकेट) मो0-9935535799


दिनांक - 24/03/2023

Alok Kumar Mishra (Advocate,
Reg. No.-5798/07
Judges Court, Shahjahanpur
9935535799

आवेदन सं०: 202300795005549

मिनट बुक संख्या 13 द्वारा
निबंधन की कार्यवाही स्थगित की
गई।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


अरुण कुमार गुप्ता
उप निबंधक : सदर
शाहजहांपुर
03/05/2023

आवेदन सं०: 202300795005549

✓ पी पी कठेरिया
निबंधक लिपिक
शाहजहांपुर
03/05/2023

मिनट बुक संख्या 32 द्वारा निबंधन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।
बही संख्या 1 जिल्द संख्या 16090 के पृष्ठ 197 से 214 तक क्रमांक 13392 पर
दिनांक 30/08/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

प्रिंट करें

As per order of ADM (FIR)
Shahjahanpur dt. 07.07.2023

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Certified that the amount required
make up the proper stamp duty is

Rs. 4,19,530/-
in words Four lakh Ten thousand five hundred

and a penalty of Rs. 4000/-
in words Four thousand only.

and Registration fee Rs. 58,830/-
in words Fifty Eight thousand Eight hundred thirty only.

and Interest (1% p.a.)
Rs. (10474 + 6160) = 24,634/-
in words Twenty four thousand Six hundred thirty four only.

have been levied in respect of
instrument and have been paid by
Agrawal K/A Anil Agrawal S/o Pramod Kumar

Through Treasury Chalan No. 1207/2023, 135
Dated 14.08.2023

हरि श यादव
उप निबंधक : सदर
शाहजहांपुर
30/08/2023

प्रिंट करें


ADM (FIR)
Collector
Stamps. Shahjahanpur